न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क R.A.S.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –131/2016

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार पीपाड़ शहर(भूमिधारी)		1. श्री घासीराम पुत्र श्री सुखाराम 2. श्री हरचन्द पुत्र श्री सुखाराम 3. श्री चन्द्राराम पुत्र श्री सुखाराम 4. श्री भुराराम पुत्र श्री धुलाराम 5. श्री चैनाराम पुत्र श्री जस्साराम 6. श्री घेवंरराम पुत्र श्री रीघाराम फौत के कायम मुकाम 6/1 धर्माराम पुत्र घेवंरराम 6/2 पप्पुराम पुत्र घेवंरराम 6/3 राजूदेवी पुत्र घेवंरराम 6/4 रमादेवी पत्नि घेवंरराम 6/5 सोनीदेवी पत्नि घेवंरराम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित अधिवक्ता :

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर प्रार्थी

2. श्री रामदयाल चौधरी अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 20.03.2018

1. प्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश किया है कि सरहद मौजा लवारी में स्थित खातेदारी भूमि ख.न. 3 रकबा 20.15 बारानी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

द्वितिय खातेदार श्री घीसाराम पुत्र श्री सुखाराम, श्री हरचन्द पुत्र श्री सुखाराम, श्री चन्द्राराम पुत्र श्री सुखाराम, 1/4 हिस्सा श्री भुराराम पुत्र श्री धुलाराम, 1/4 हिस्सा चैनाराम पुत्र श्री जस्साराम 1/4 हिस्सा श्री घेवंरराम पुत्र रीधाराम 1/4 हिस्सा जाति जाट सा देह की संयुक्त खातेदारी भूमि है।

2. सरहद मौजा लवारी में स्थित खातेदारी भूमि ख.न. 3 रकबा 20.15 बीघा भूमि में उपरोक्त खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा अवैध खनन कार्य किया जाना पाया गया।

3. अप्रार्थीगण ग्राम लवारी तहसील पीपाड़ शहर के मूल निवासी है जिन्होनें कृषि भूमि का दुरूपयोग किया जा रहा है जो कृषि भूमि क्षैत्र के लिए हानिप्रद कृत्य है। इस कृत्य के लिए विवादित कृषि भूमि से अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त कर बेदखल किया जाना आवश्यक है।

4. उपरोक्त खसरान की भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत कार्य से बजरी खनन का निर्गमन किया जाने एवं मौके पर उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा गहराई के पिट कर दिये है इस तथ्य की पुष्टि सम्बन्धित हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से है।

5. हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 6/1 से 6/5 की ओर से वकील श्री रामदयाल चौधरी ने वकालातनामा प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 6/5 ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम लवारी की राजस्व सीमा में स्थित ख.न. 3 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा जमीन अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिस पर अप्रार्थीगण कतई अवैध खनन नही कर रहे है बल्कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.न. 03 रकबा 20 बीघा जमीन के चिपते ही ख.न.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

02 गै.मु. नदी आयी हुई है जो नदी से ठेकेदार खनन करते तथा अप्रार्थीगण की जमीन में खनन करना शुरू कर दिया जिसकी अप्रार्थीगण को जानकारी होते ही अप्रार्थीगण ने ठेकेदार वगैराह को अवैध खनन करने से मना कर दिया मात्र नदी के सहारे सहारे ही चोरी छिपे ठेकेदार के लोगो ने ही अवैध खनन किया जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को होते ही अप्रार्थीगण ने अवैध खनन करने से मना कर दिया जिस पर ठेकेदार ने नदी की पैमाईस करवायी व नदी से ही खनन कर रहे है। अप्रार्थी संख्या एक से छः ने कभी अवैध खनन नही किया तथा न किसी को खनन करने हेतु अनुमति दी।

6. अप्रार्थीगण कतई अपनी जमीन की अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नही किया बल्कि अप्रार्थीगण गरीब किसान व्यक्ति है तथा पशुपालन करते है तथा अपनी उक्त खातेदारी जमीन नदी से बजरी आ जाने से खराब हो गयी जिससे अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर अपने मवेशियान को चाराने हेतु उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है।

7. अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या, सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें। अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कब्जासुद जमीन में कृषि कार्य करने व मवेशियान चराने में किसी प्रकार से दखलदांजी पैदा नही करें।

8. बहस प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण सुनी गयी । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराते हुए निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण ग्राम लवारी तहसील पीपाड़ शहर के मूल निवासी है जिन्होनें कृषि भूमि का दुरूपयोग किया जा रहा है जो कृषि भूमि क्षैत्र के लिए हानिप्रद कृत्य है। इस कृत्य के लिए विवादित कृषि भूमि से अप्रार्थीगण के खातेदारी

अधिकार समाप्त कर बेदखल किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त खसरान की भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत कार्य से बजरी खनन का निर्गमन किया जाने एवं मौके पर उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा गहराई के पिट कर दिये है इस तथ्य की पुष्टि सम्बन्धित हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से है।

9. इसी प्रकार वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण कतई अपनी जमीन की अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नही किया बल्कि अप्रार्थीगण गरीब किसान व्यक्ति है तथा पशुपालन करते है तथा अपनी उक्त खातेदारी जमीन नदी से बजरी आ जाने से खराब हो गयी जिससे अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर अपने मवेशियान को चाराने हेतु उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या, सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें। अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कब्जासुद जमीन में कृषि कार्य करने व मवेशियान चराने में किसी प्रकार से दखलदांजी पैदा नही करें।

10. हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। ग्राम लवारी के ख.न. 3 रकबा 20.15 बारानी द्वितीय भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का मालावास द्वारा तैयार फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 15.04. 2016 के अनुसार अप्रार्थीगण के खेत ख.न. 3 का उपयोग कृषि कार्य के बजाय गैर कृषि कार्य के रूप में बिना अनुमति बजरी का अवैध खनन किया गया है। यह कृत्य धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार हानिप्रद कार्य या शर्तभंग के कारण बेखली के अन्तर्गत आता है। चूंकि खातेदार अप्रार्थीगण को भूमि कृषि कार्य हेतु

ही काम में लेनी थी, अगर अन्य कार्य में भूमि उपभोग ली जाती है तो उसका सम्बन्धित खातेदार द्वारा संपरिवर्तन आदि कराया जाता है या खनन करने की स्थिति में खनिज विभाग से नियमानुसार खनन पट्टा प्राप्त करके ही ऐसा कार्य किया जा सकता है लेकिन अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। उपरोक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि खातेदार अवैध खनन किया गया है। जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम शर्तभंग के कारण बेदखली के भागी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिए जाते है कि ग्राम लवारी के ख.न. 03 रकबा 20.15 बीघा बारानी द्वितीय जो फर्द मौका दिनांक 15.04.2016 में दर्शित ख.न. 03 सम्पूर्ण भूमि पर खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 6/1 से 6/2 द्वारा बजरी का अवैध खनन करने पर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ मौके पर किया जाने से, उसका दुरूपयोग होने से अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त कर बेदखली के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार पीपाड़ शहर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कर बेदखली की कार्यवाही कर भूमि कब्जे राज लेवे, साथ ही साथ तहसीलदार पीपाड़ शहर इस सम्बन्ध में राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 48 के अन्तर्गत भी कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 20.03.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
पीपाड़ शहर